बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

<u>कार्यालय आदेश</u>

का0आ0सं0----------/2012 पटना, दिनांक जुलाई, 2012

पटना स्थित मुख्य अस्पतालों के कार्यों की सघन समीक्षा करने एवं उसमें अपेक्षित सुधार लाने हेतु निम्नानुसार धावा दल का गठन किया जाता है । धावा दल संबंधित अस्पतालों का औचक निरीक्षण निम्न बिन्दुओं पर कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेगा । साथ ही स्थिति में सुधार लाने हेतु अपना सुझाव भी समर्पित करेंगे :

(i) अस्पतालों में चालू एवं खराब पड़े उपकरण एवं मशीनों का निरीक्षण करना । खराब पड़े मशीन/उपकरण की मरम्मती हेतु क्या कार्रवाई की गयी तथा उनपर कितना व्यय किया गया । वैसे मशीन/उपकरण जो मरम्मती के लायक नहीं है उनके रद्दीकरण के संबंध में प्रतिवेदन देना ।

(ii) पैथोलॉजिकल जांच हेतु केमिकल्स की उपलब्धता एवं Inventory Management की स्थिति ।

(iii) मुफ्त पैथोलोजिकल/रेडियोलॉजिकल जाँच की स्थिति । क्या सरकार के निदेशानुसार मुफ्त जांच की जा रही है ।

(iv) अस्पताल में आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता की स्थिति । मरीजों को सभी आवश्यक दवााईयां मुफ्त मिलती है या नहीं ?

(v) ओ0पी0डी0 एवं इमरजेंसी में रोगियों की समुचित देख-भाल होती या नहीं एवं इमरजेंसी में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयाँ रखी जाती या नहीं ।

(vi) अस्पताल में चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर समय से आते हैं या नहीं ? उनके द्वारा वार्ड में नियमित रूप से राउण्ड लिया जाता है या नहीं ? प्रभारियों की पहचान कर प्रतिवेदन दिया जायेगा ।

(vii) नर्सों का व्यवहार रोगियों/परिजनों के साथ कैसा रहता है ।

(viii) अस्पतालों में साफ-सफाई की व्यवस्था ।

(ix) सरकारी नियमानुसार बेड पर चादर आदि बिछाये जाते हैं या नहीं तथा वे साफ एवं धुले रहते हैं या नहीं ।

(x) अस्पतालों में मरीजों को उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन एवं नास्ते की गुणवता एवं मात्रा की जाँच ।

(xi) अस्पताल में विभिन्न संवर्गों के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने कार्यरत हैं तथा कितने रिक्त हैं उनका व्योरा प्राप्त करना ।

(xvi) ऑपरेशन थिएटर के उपयोग की स्थिति ।

2- अस्पतालों में पिछले तीन वित्तीय वर्षो में मशीन/उपकरण एवं लघु मरम्मति हेतु दिये गये आवंटन का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा ।

3- धावा दल निम्नानुसार गठित किया जाता है ।

धावा दल संख्या	क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम	संबंधित अस्पताल का नाम
1	(क)	श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव	अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर
	(ख)	डा0 यंत्रेश्वर झा, उप निदेशक	
2	(क)	श्री जे0पी0सिंह, राज्य स्वा0 समिति	राजवंशी नगर अस्पताल
	(ख)	डा0 चन्द्रशेखर नारायण,उप निदेशक	
3	(क)	श्री विश्वनाथ ठाकुर, संयुक्त सचिव	गर्दनीबाग अस्पताल, पटना
	(ख)	डा0के0 के0सिंह, उप निदेशक	
4	(क)	श्री सांवर भारती, प्रशासी पदा0	गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना
	(ख)	डा0 सुरेन्द्र प्रसाद, निदेशक प्रमुख	
5	(क)	श्रीमती बिमला प्रसाद, सं0 सचिव डा0	विधायक अस्पताल, पटना
	(ख)	एम0 पी0 शर्मा, राज्य स्वास्थ्य समिति	
6	(क)	श्री गंगा प्रसाद, अपर कार्य0निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति ।	राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना
	(ख)	डा0 अंजनी कुमार, कार्य0 पदाधिकारी, अंधापन नियंत्रण कार्य0	
7	(क)	डा0 ललित भूषण, राज्य स्वा0 समिति	गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल पटना सिटी
	(ख)	डा0 ए0के0 शाही, राज्य स्वा0 समिति	

4- धावा दल द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आवंटित अस्पताल का निरीक्षण किया जायेगा ।

5- सचिव, प0क0 धावा दलों के प्रभारी रहेंगे तथा वे धावा दल का कार्यक्रम गोपनीय रूप से निर्धारित करेंगे ।

6- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

ह0/-
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- पटना, दिनांक जुलाई, 2012

प्रतिलिपः- स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति के सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(व्यास जी)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- 302 (H.S) पटना, दिनांक 05 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि सभी संबंधित संस्थानों को सूचनार्थ प्रेषित ।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक जुलाई, 2012

प्रतिलिपि सिविल सर्जन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- पटना, दिनांक जुलाई, 2012

प्रतिलिपि कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । कार्यपालक निदेशक कृपया धावा दल में सम्मिलित राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आवंटित अस्पताल में जाने हेतु निदेशित करेंगे । साथ ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धावा दल के लिए वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

ह0/-
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 302(H.S) पटना, दिनांक 05 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि मंत्री, स्वास्थ्य के सूचनार्थ प्रेषित ।

Ohs/7
(व्यास जी)
प्रधान सचिव